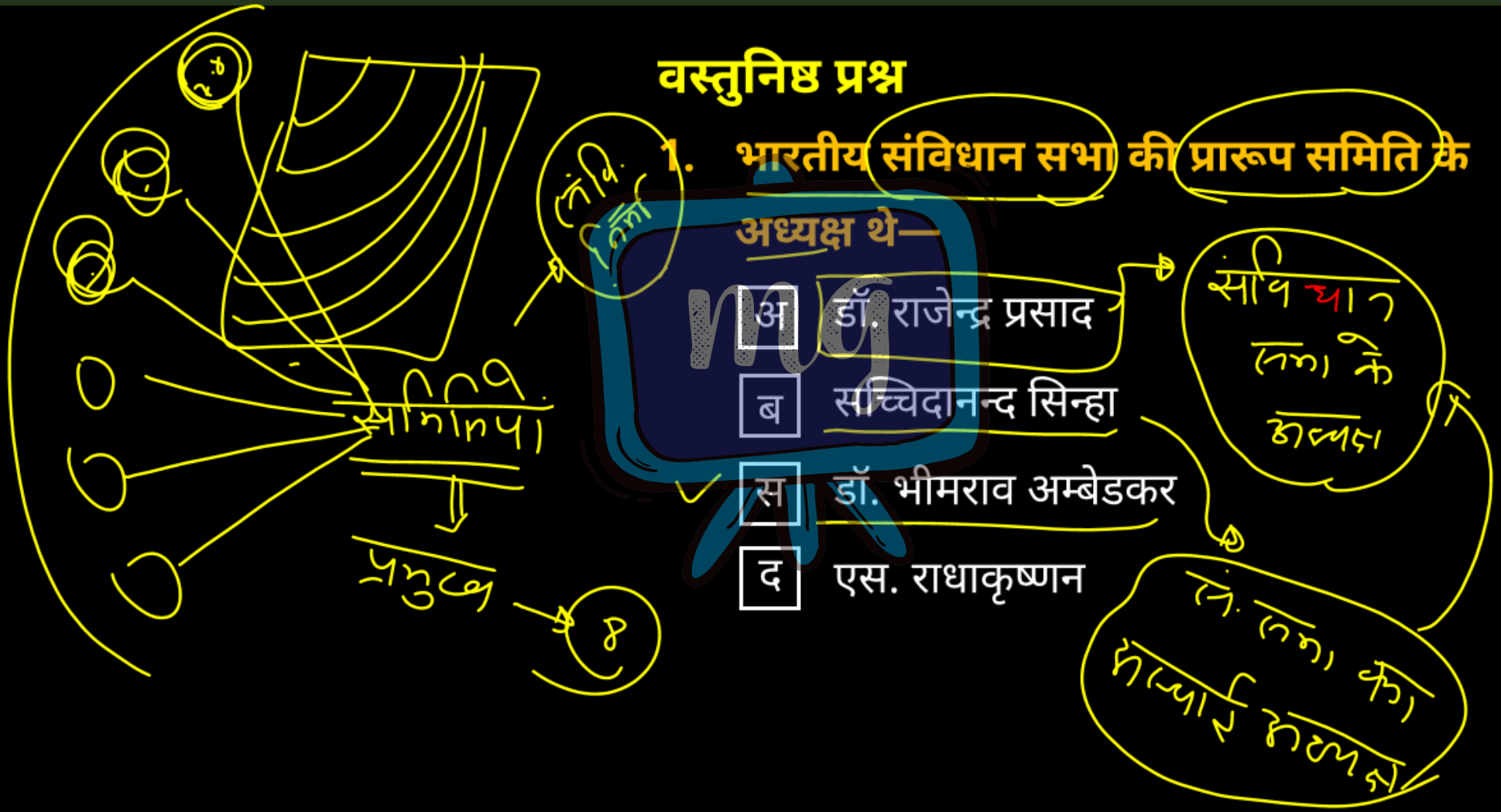

Under CSR Support by
ipca | Foundation
missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER
इ-पाठशाला कार्यक्रम
Class 11th POLITY
संविधान
क्यों और कैसे?
RAPID REVISION



वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे—

अ डॉ. राजेन्द्र प्रसाद

ब सच्चिदानन्द सिन्हा

स डॉ. भीमराव अम्बेडकर

द एस. राधाकृष्णन

Under CSR Support by
ipca | Foundation

संविधान—क्यों और कैसे?

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER



भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात की गई है?

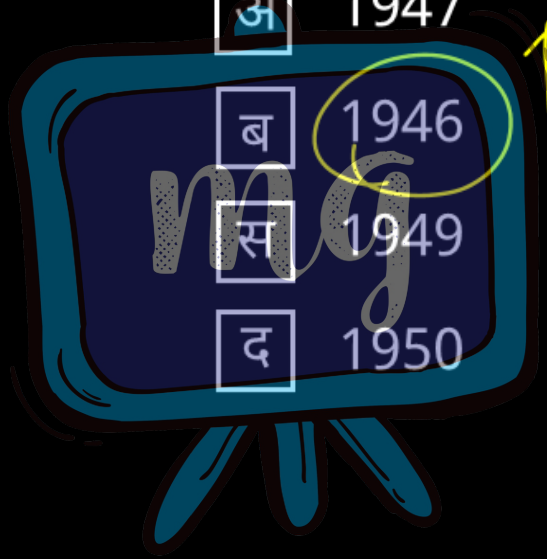
अ सामाजिक

ब राजनीतिक

स आर्थिक

द उपर्युक्त सभी

3. संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई?

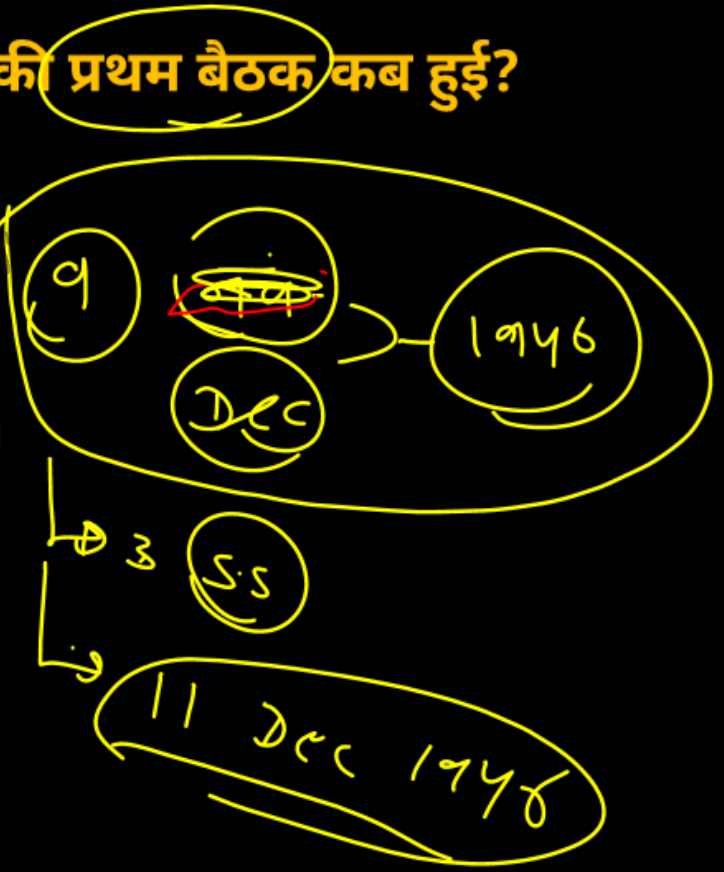


अ 1947

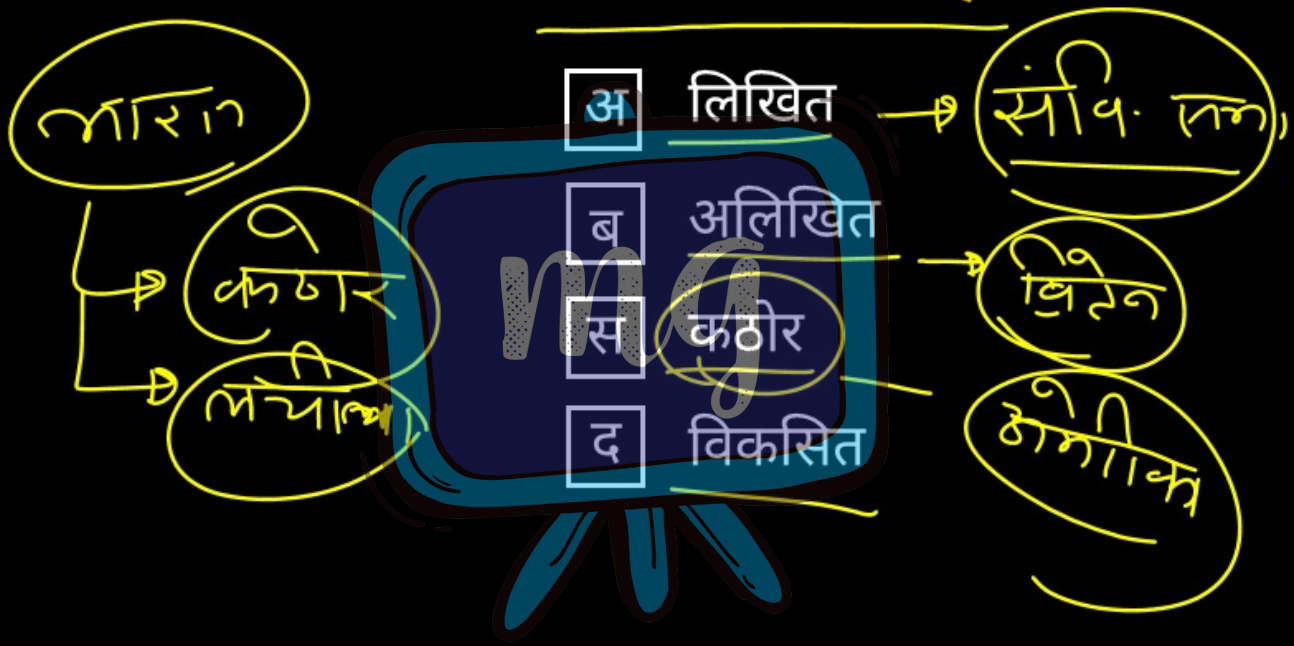
ब 1946

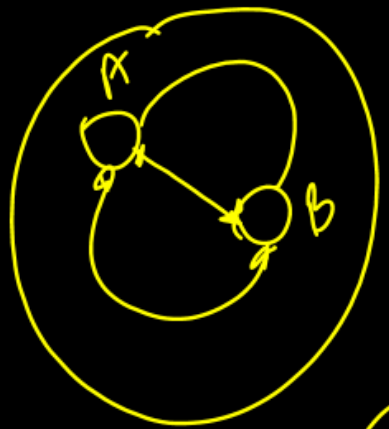
स 1949

द 1950



4. भारतीय संविधान है—





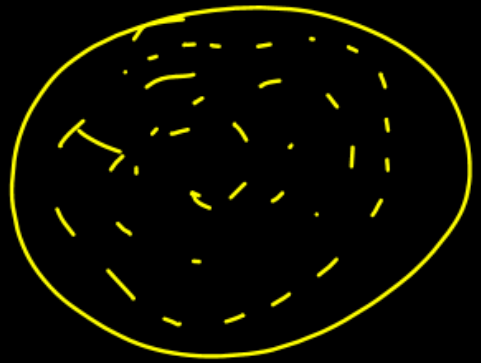
5. संविधान का पहला प्रमुख कार्य क्या है?

अ समाज में न्यूनतम समन्वय और विश्वास बनाए रखना

ब सरकार को असीमित शक्तियाँ प्रदान करना

स सभी अधिकार एक ही व्यक्ति को सौंपना

द केवल देश की सीमाओं का निर्धारण करना



6. संविधान का दूसरा प्रमुख कार्य क्या है?

अ नागरिकों के सभी मतभेद समाप्त कर देना

ब प्रत्येक नागरिक का व्यवसाय निर्धारित करना

स कानून बनाने की प्रक्रिया समाप्त करना

द समाज में निर्णय लेने की शक्ति का वितरण स्पष्ट करना

7. सरकार की शक्तियों को सीमित करने के लिए संविधान मुख्य रूप से किसकी व्यवस्था करता है?

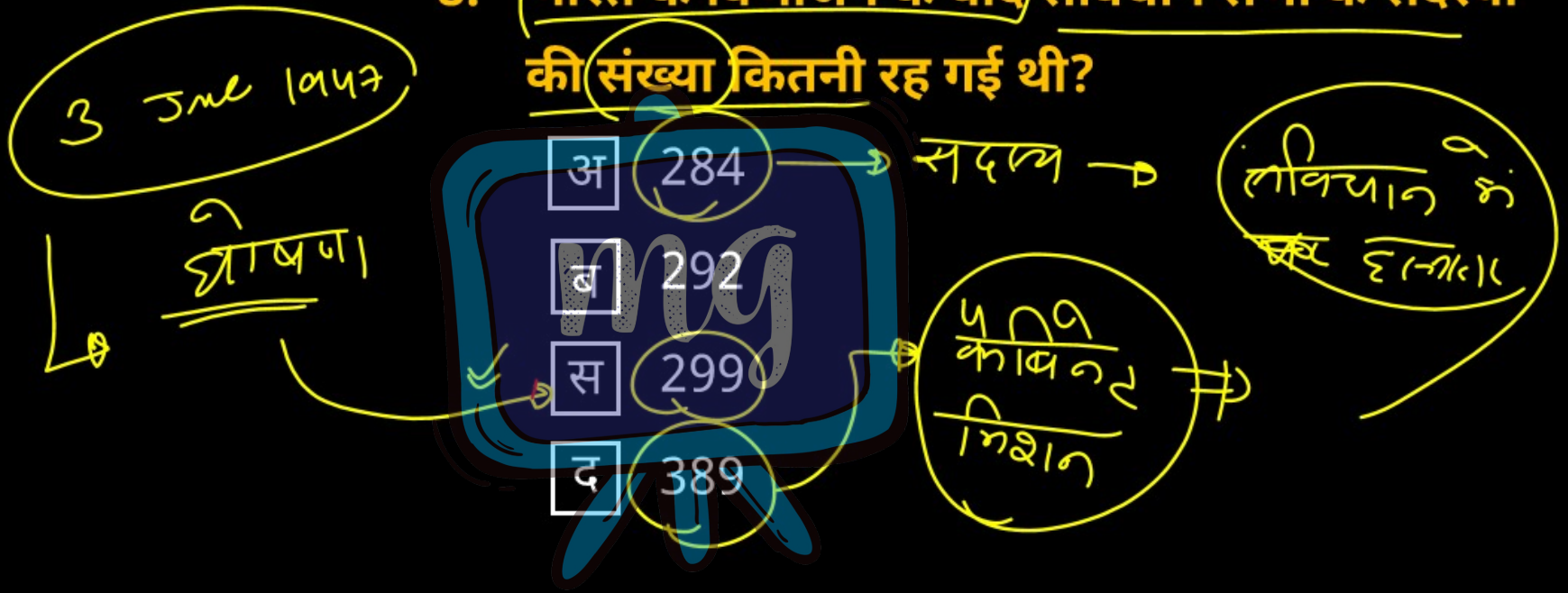
अ मौलिक अधिकारों की

ब असीमित सरकारी शक्तियों की

स निरंकुश शासन की

द मनमाने कानूनों की

8. भारत के विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी?



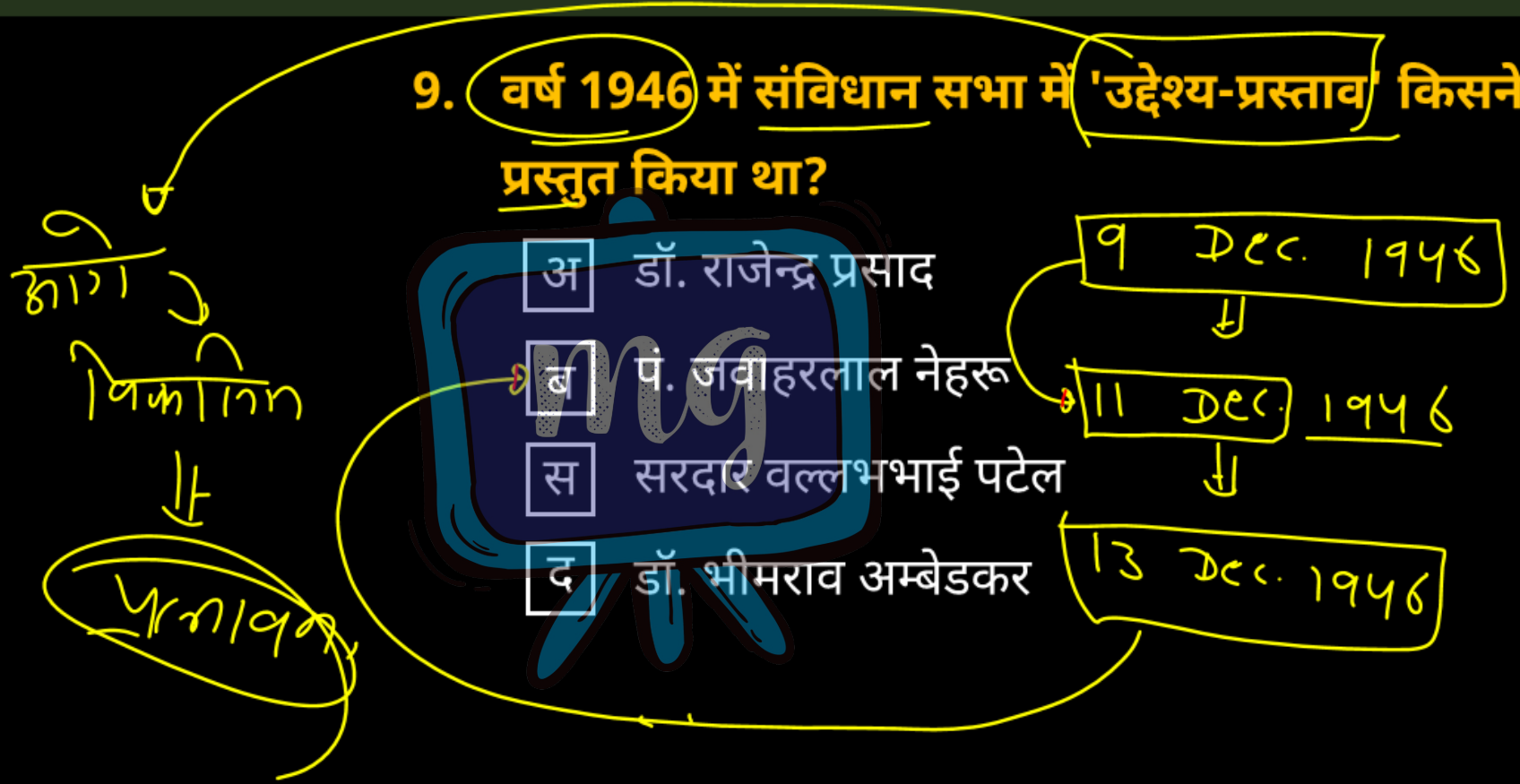
9. वर्ष 1946 में संविधान सभा में 'उद्देश्य-प्रस्ताव' किसने प्रस्तुत किया था?

अ डॉ. राजेन्द्र प्रसाद

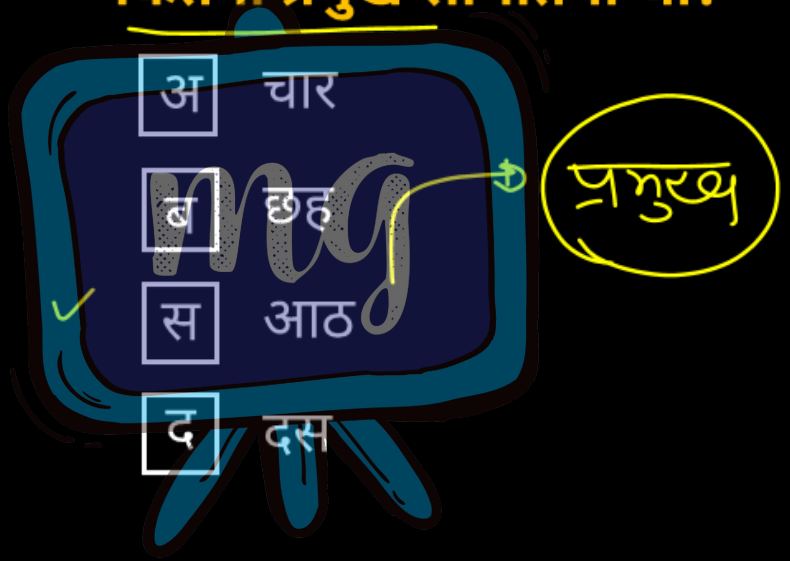
ब पं. जवाहरलाल नेहरू

स सरदार वल्लभभाई पटेल

द डॉ. भीमराव अम्बेडकर

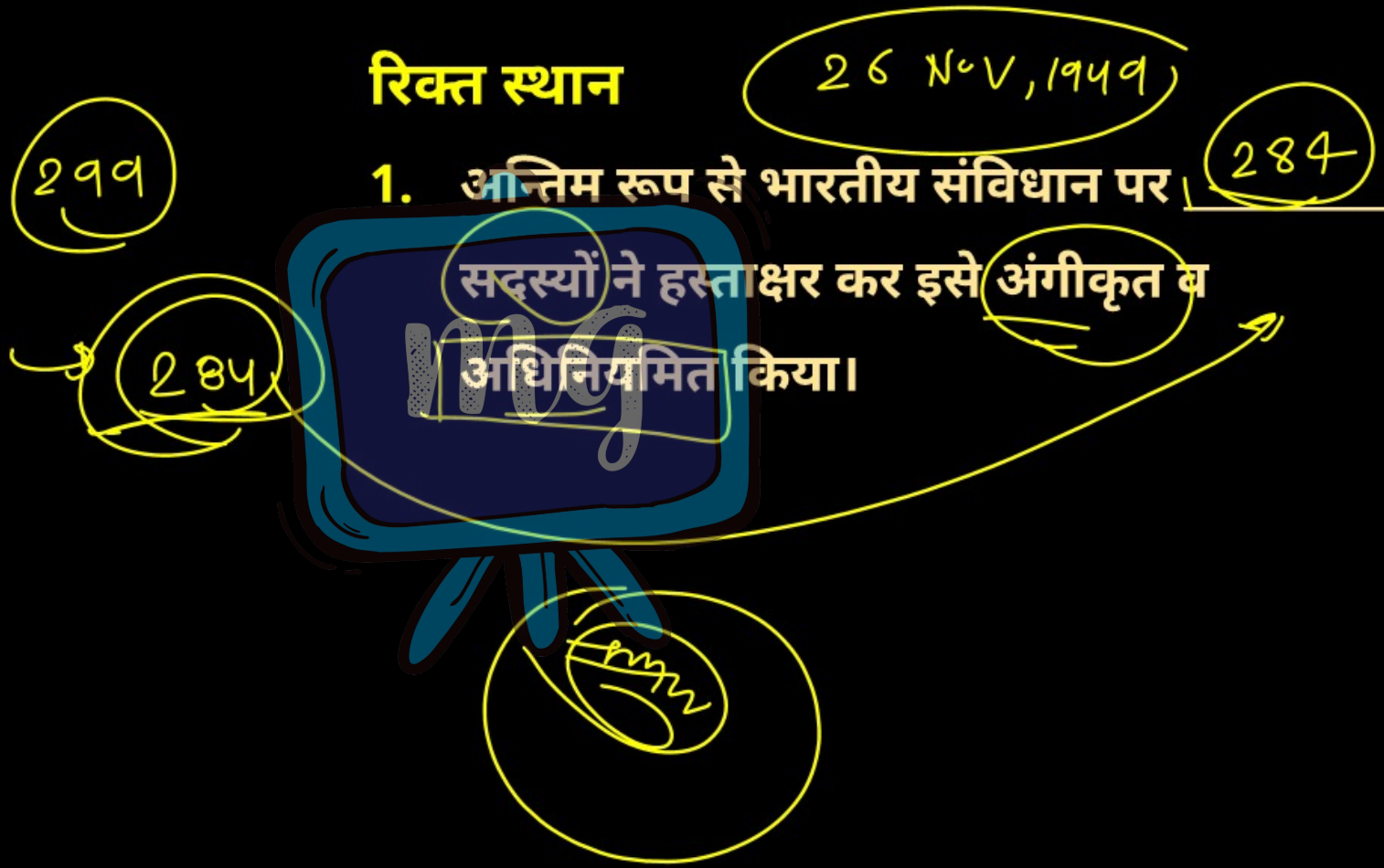


10. संविधान सभा में विभिन्न मुद्दों पर विचार करने के लिए कितनी प्रमुख समितियाँ थीं?



रिक्त स्थान

1. अन्तिम रूप से भारतीय संविधान पर _____ सदस्यों ने हस्ताक्षर कर इसे _____ अधिनियमित किया।



2. हमारी राष्ट्रीय विधायिका का नाम संसद है।



3. भारतीय संविधान सभा की रचना मुख्यतः कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार की गई थी।



4. संविधान सभा की बैठकें कुल 166 दिनों तक चलीं।



5. संविधान सभा ने _____ शासन व्यवस्था और संघात्मक व्यवस्था को स्वीकार किया।



अतिलघुत्तरात्मक प्रश्न

1. संविधान किसे कहते हैं?



2. संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किस पद्धति से किया गया था?



3. संविधान सभा ने मताधिकार की किस व्यवस्था को लगभग बिना किसी विवाद के स्वीकार किया था?



4. संविधान सभा में अनुसूचित जातियों के कितने सदस्य थे?



5. भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे?



लघुत्तरात्मक प्रश्न

1. संविधान की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए।



लघुत्तरात्मक प्रश्न

1. संविधान की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए।

उत्तर : संविधान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से होती है—

1. **समन्वय और विश्वास की स्थापना** — संविधान समाज के सदस्यों के बीच न्यूनतम समन्वय और आपसी विश्वास बनाए रखने के लिए बुनियादी नियम प्रदान करता है।
2. **शक्तियों का वितरण** — संविधान यह निर्धारित करता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी और सरकार का गठन कैसे होगा।

Under CSR Support by
ipca | Foundation

संविधान—क्यों और कैसे?

missiongyan® LET'S LEARN TOGETHER

3. **सरकारी शक्तियों पर नियंत्रण** — संविधान सरकार की शक्तियों पर सीमाएँ लगाता है तथा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है।
4. **सामाजिक आकांक्षाओं की पूर्ति** — संविधान सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करता है, जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए कार्य कर सके।
5. **राष्ट्रीय पहचान का निर्माण** — संविधान समाज को एक सामूहिक राजनीतिक और नैतिक पहचान प्रदान करता है।

2. एक अच्छे संविधान में क्या विशेषताएँ होनी चाहिए?



2. एक अच्छे संविधान में क्या विशेषताएँ होनी चाहिए?

उत्तर : एक अच्छे संविधान में निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएँ होनी चाहिए—

1. **विश्वसनीयता और जनसमर्थन** — संविधान का निर्माण ऐसे प्रतिनिधियों द्वारा होना चाहिए, जिन पर समाज का विश्वास हो और जिनके निर्णयों को व्यापक स्वीकृति प्राप्त हो।
2. **स्वतंत्रता और समानता की सुरक्षा** — संविधान में ऐसे मौलिक प्रावधान होने चाहिए, जो सभी नागरिकों की स्वतंत्रता और समानता की रक्षा करें।

3. **संस्थागत सन्तुलन** — संविधान में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा अन्य संवैधानिक संस्थाओं के बीच शक्तियों का उचित वितरण होना चाहिए।
4. **कठोरता और लचीलेपन में सन्तुलन** — संविधान को अपने बुनियादी मूल्यों की रक्षा करने के साथ-साथ बदलती आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को ढालने में सक्षम होना चाहिए।
5. **न्याय और सामाजिक आकांक्षाओं का संरक्षण** — संविधान में ऐसे प्रावधान होने चाहिए, जिनसे नागरिकों को बुनियादी न्याय प्राप्त करने तथा अपनी आकांक्षाएँ पूरी करने का आधार मिले।

3. भारतीय संविधान की दो विशेषताएँ बताइए।



3. भारतीय संविधान की दो विशेषताएँ बताइए।

उत्तर :

1. संसदीय शासन व्यवस्था — भारतीय संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था को स्वीकार किया गया है, जिसमें विधायिका तथा कार्यपालिका के बीच संवैधानिक सम्बन्धों की व्यवस्था की गई है।
2. संघात्मक व्यवस्था — भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसके अन्तर्गत केन्द्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण किया गया है।

दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न

1. "मौलिक अधिकार अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं।" स्पष्ट कीजिए।



दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न

1. **"मौलिक अधिकार अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं।" स्पष्ट कीजिए।**

उत्तर :

भूमिका : मौलिक अधिकार संविधान के अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रावधान हैं। ये नागरिकों की स्वतंत्रता, समानता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ सरकार की शक्तियों पर बुनियादी सीमाएँ लगाते हैं।

मौलिक अधिकारों का महत्त्व

1. **सरकारी शक्तियों पर नियंत्रण** — मौलिक अधिकार सरकार की शक्तियों को सीमित करते हैं, जिससे सरकार नागरिकों के साथ मनमाना व्यवहार नहीं कर सकती।
2. **व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा** — मौलिक अधिकार नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुरक्षा प्रदान करते हैं तथा उन्हें स्वतंत्र जीवन जीने का आधार देते हैं।
3. **मनमानी गिरफ्तारी से सुरक्षा** — नागरिकों को बिना किसी उचित कारण के मनमाने ढंग से गिरफ्तार किए जाने के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त होती है।

4. **भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता** — नागरिकों को अपने विचार व्यक्त करने तथा भाषण देने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है।
5. **धार्मिक स्वतंत्रता** — नागरिकों को अपनी अंतरात्मा की आवाज के अनुसार कार्य करने तथा अपने धर्म और विश्वास से सम्बन्धित स्वतंत्रता प्राप्त होती है।
6. **संगठन बनाने की स्वतंत्रता** — नागरिकों को संगठन बनाने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है, जिससे वे अपने विचारों और हितों को सामूहिक रूप से व्यक्त कर सकते हैं।

7. **समानता तथा न्याय की सुरक्षा** — संविधान नागरिकों को कानून के समक्ष समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान करने की प्रतिबद्धता व्यक्त करता है।
8. **आपातकालीन परिस्थितियों का प्रावधान** — संविधान उन परिस्थितियों का भी उल्लेख करता है, जिनमें राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कुछ मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है।

2. हमारे संविधान का राजनीतिक दर्शन क्या है?



2. हमारे संविधान का राजनीतिक दर्शन क्या है?

उत्तर :

भूमिका : भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र, संप्रभुता, न्याय और राष्ट्रीय एकता जैसे मूल्यों पर आधारित है। ये मूल्य राष्ट्रीय स्वतंत्रता आन्दोलन की विरासत तथा संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य-प्रस्ताव में अभिव्यक्त हुए थे।

संविधान—क्यों और कैसे?

भारतीय संविधान के राजनीतिक दर्शन के प्रमुख आधार

1. जनता की संप्रभुता — संविधान के उद्देश्य-प्रस्ताव के अनुसार स्वतंत्र और संप्रभु भारत तथा उसके संविधान की समस्त शक्तियों एवं सत्ता का स्रोत जनता है।
2. लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था — भारतीय संविधान लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना करता है तथा जनता के प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाने की व्यवस्था प्रदान करता है।

Under CSR Support by
ipca | Foundation

संविधान—क्यों और कैसे?

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

3. स्वतंत्रता का सिद्धान्त — संविधान नागरिकों को भाषण, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, व्यवसाय, संगठन और कार्य करने की मौलिक स्वतंत्रताओं की सुरक्षा प्रदान करने की प्रतिबद्धता व्यक्त करता है।
4. समानता का सिद्धान्त — संविधान कानून के समक्ष समानता तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समानता को महत्त्व देता है।
5. सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय — संविधान का उद्देश्य समाज में व्याप्त असमानताओं को दूर करना तथा सभी नागरिकों के लिए न्यायपूर्ण परिस्थितियों का निर्माण करना है।

6. **बंधुत्व की भावना** — संविधान सभा में डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व को सामाजिक लोकतंत्र के परस्पर जुड़े हुए सिद्धान्त माना।
7. **अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों की सुरक्षा** — संविधान का उद्देश्य अल्पसंख्यकों, दलितों, पिछड़े वर्गों तथा जनजातीय क्षेत्रों को समुचित सुरक्षा प्रदान करना है।
8. **लोक-कल्याणकारी दृष्टिकोण** — संविधान सरकार को जनता की आकांक्षाएँ पूरी करने, असमानता कम करने तथा नागरिकों को गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करने के लिए आवश्यक क्षमता देता है।

3. भारतीय संविधान में राष्ट्रीय पहचान को वरीयता प्रदान की गई है। स्पष्ट करें।



3. भारतीय संविधान में राष्ट्रीय पहचान को वरीयता प्रदान की गई है। स्पष्ट करें।

उत्तर :

भूमिका : भारतीय संविधान किसी समाज की सामूहिक राजनीतिक और नैतिक पहचान का आधार है। यह विभिन्न धर्मों, समुदायों और सामाजिक समूहों में बँटे लोगों को साझा संवैधानिक नियमों एवं मूल्यों के माध्यम से एक राष्ट्रीय पहचान प्रदान करता है।

Under CSR Support by
ipca | Foundation

संविधान—क्यों और कैसे?

missiongyan
LET'S LEARN TOGETHER

भारतीय संविधान में राष्ट्रीय पहचान का स्वरूप

1. सामूहिक पहचान का निर्माण — संविधान के माध्यम से विभिन्न समुदायों के लोग कुछ बुनियादी नियमों और सिद्धान्तों पर सहमत होकर अपनी सामूहिक राजनीतिक पहचान का निर्माण करते हैं।
2. साझा संवैधानिक नियम — संविधान यह निर्धारित करता है कि समाज में शासन किस प्रकार होगा तथा शासन व्यवस्था में कौन-कौन सम्मिलित होंगे। इन नियमों से सामूहिक पहचान को आधार मिलता है।

3. **नस्ल और जातीयता से अलग पहचान** — भारतीय संविधान जातीयता या नस्ल को नागरिकता के आधार के रूप में मान्यता नहीं देता। यह जर्मनी की नस्ल-आधारित राष्ट्रीय पहचान से भिन्न है।
4. **धार्मिक पहचान का सम्मान** — भारतीय संविधान के अन्तर्गत धार्मिक पहचान का नागरिक अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इससे विभिन्न धार्मिक समुदायों को साझा राजनीतिक व्यवस्था में स्थान मिलता है।

5. **व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं की सुरक्षा** — संविधान एक ऐसा व्यापक ढाँचा प्रदान करता है, जिसके अन्तर्गत व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं, लक्ष्यों और स्वतंत्रताओं का प्रयोग कर सकता है।
6. **नैतिक पहचान का निर्माण** — संविधान यह निर्धारित करता है कि नागरिक क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। इस प्रकार संवैधानिक नियम नागरिकों को नैतिक पहचान भी प्रदान करते हैं।
7. **राष्ट्रीय आन्दोलन की साझा विरासत** — स्वतंत्रता आन्दोलन से प्राप्त समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संप्रभुता और साझा पहचान के सिद्धान्तों को संविधान में संस्थागत स्वरूप दिया गया।

सुमेलित कीजिए

1. निम्नलिखित देशों के संविधानों का उनसे लिए गए प्रमुख संवैधानिक प्रावधानों के साथ सुमेलन कीजिए।

स्तम्भ (अ)	स्तम्भ (ब)
(i) ब्रिटेन का संविधान	(अ) ब्रिटेन का संविधान
(ii) अमेरिका का संविधान	(ब) स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धान्त
(iii) आयरलैंड का संविधान	(स) सरकार का संसदीय स्वरूप
(iv) फ्रांस का संविधान	(द) मौलिक अधिकारों की सूची

2. निम्नलिखित देशों का उनके संवैधानिक अनुभवों एवं विशेषताओं के साथ सुमेलन कीजिए।

स्तम्भ (अ)	स्तम्भ (ब)
(i) दक्षिण अफ्रीका	(अ) जर्मन नस्ल के आधार पर राष्ट्र की पहचान
(ii) इंडोनेशिया	(ब) नस्ली भेदभाव दूर करने के लिए सरकार को सक्षम बनाना
(iii) जर्मनी	(स) वर्ष 2015 में नए संविधान को अपनाना
(iv) नेपाल	(द) राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था बनाना और उसका संचालन करना सरकार की जिम्मेदारी

3. संविधान निर्माण से सम्बन्धित निम्नलिखित अवधारणाओं का उनके अर्थों एवं विशेषताओं के साथ सुमेलन कीजिए।

स्तम्भ (अ)	स्तम्भ (ब)
(i) समाज के विविध वर्गों का प्रतिनिधित्व	(अ) स्वतंत्रता आन्दोलन से प्राप्त साझा सिद्धान्तों पर सहमति
(ii) सार्वजनिक विवेक	(ब) सार्वजनिक हित और तर्कपूर्ण विचार-विमर्श को महत्त्व
(iii) राष्ट्रीय आन्दोलन की विरासत	(स) विभिन्न संस्थाओं में शक्ति का वितरण करके एकाधिकार रोकना
(iv) संस्थागत सन्तुलन	(द) समाज के विभिन्न वर्गों की संविधान निर्माण में सहभागिता

दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न

1. लोकतांत्रिक देशों में संविधान का महत्त्व अपेक्षाकृत अधिक क्यों होता है? स्पष्ट करें।

दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न

1. **लोकतांत्रिक देशों में संविधान का महत्त्व अपेक्षाकृत अधिक क्यों होता है? स्पष्ट करें।**

उत्तर :

1. समाज में समन्वय और विश्वास की स्थापना
   - बुनियादी नियम — संविधान समाज में रहने वाले सभी व्यक्तियों के लिए आधारभूत नियम प्रदान करता है।
   - आपसी विश्वास — संविधान नागरिकों में यह विश्वास उत्पन्न करता है कि सभी लोग निर्धारित नियमों का पालन करेंगे।

Under CSR Support by
ipca | Foundation

संविधान—क्यों और कैसे?

missiongyan® LET'S LEARN TOGETHER

- शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व — विविध विचारों और हितों वाले लोगों को एक साथ रहने तथा सहयोग करने का आधार मिलता है।

2. लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का निर्माण
   - जनता की भूमिका — लोकतांत्रिक संविधानों में निर्णय लेने की शक्ति मूलतः जनता से सम्बन्धित होती है।
   - सरकार का गठन — संविधान निर्धारित करता है कि सरकार का निर्माण किस प्रकार होगा।
   - प्रतिनिधियों का चयन — संविधान जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से निर्णय लेने की व्यवस्था का आधार प्रदान करता है।

संविधान—क्यों और कैसे?

3. सरकारी शक्तियों का वितरण

- शक्तियों का निर्धारण — संविधान स्पष्ट करता है कि निर्णय लेने का अधिकार किसके पास होगा।
- विभिन्न संस्थाएँ — संविधान विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसी संस्थाओं के बीच शक्तियों का वितरण करता है।
- एकाधिकार पर नियंत्रण — शक्तियों के वितरण से किसी एक संस्था द्वारा सम्पूर्ण सत्ता पर अधिकार स्थापित करने की सम्भावना कम होती है।

4. नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा

- अधिकारों की सुरक्षा — संविधान नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करने तथा उनकी रक्षा करने का आधार देता है।
- व्यक्तिगत स्वतंत्रता — नागरिकों को भाषण, अंतरात्मा की आवाज पर कार्य करने और संगठन बनाने जैसी स्वतंत्रताएँ प्राप्त होती हैं।
- मनमानी पर रोक — संविधान सरकार को नागरिकों के साथ मनमाना व्यवहार करने से रोकता है।

5. स्वतंत्रता और समानता का संरक्षण

- स्वतंत्रता — संविधान नागरिकों को अपनी आकांक्षाओं और लक्ष्यों की पूर्ति के लिए स्वतंत्रता का आधार प्रदान करता है।
- समानता — संविधान सभी नागरिकों की समानता की सुरक्षा को महत्त्व देता है।
- संवैधानिक स्वीकृति — ऐसा संविधान अधिक सफल होता है, जो अपने नागरिकों की स्वतंत्रता और समानता की अधिक सुरक्षा करता है।

6. सामाजिक न्याय और जनकल्याण

- न्यायपूर्ण समाज — संविधान सरकार को न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए आवश्यक क्षमता प्रदान करता है।
- असमानताओं का समाधान — संविधान ऐसी व्यवस्था का आधार देता है, जिससे सरकार गरीबी और सामाजिक असमानताओं से निपट सके।
- जनकल्याण — संविधान सरकार को नागरिकों की बुनियादी आवश्यकताओं और आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए कार्य करने में सक्षम बनाता है।

7. सामाजिक और राष्ट्रीय पहचान का निर्माण

- सामूहिक पहचान — संविधान समाज के विभिन्न वर्गों को साझा राजनीतिक पहचान प्रदान करता है।
- साझा मूल्य — संविधान समाज के सदस्यों को कुछ आधारभूत नियमों और सिद्धान्तों पर सहमत होने का आधार देता है।
- नैतिक पहचान — संविधान नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों से सम्बन्धित सीमाएँ निर्धारित करके नैतिक पहचान का निर्माण करता है।

8. संविधान की सर्वोच्चता और स्थिरता

- सर्वोच्च कानून — संविधान देश का सर्वोच्च कानून है, जिसका सभी को पालन करना होता है।
- संस्थागत सन्तुलन — संविधान विभिन्न संस्थाओं की शक्तियों को इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि कोई एक संस्था अपनी शक्ति का दुरुपयोग न कर सके।
- बदलती परिस्थितियों के अनुरूप व्यवस्था — संविधान प्रमुख मूल्यों की रक्षा करते हुए बदलती आवश्यकताओं के अनुसार स्वयं को ढालने की सम्भावना प्रदान करता है।

2. भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन कीजिए।



2. भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन कीजिए।

उत्तर : भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया था। संविधान निर्माण की प्रक्रिया भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन की विरासत, विभिन्न सामाजिक वर्गों के प्रतिनिधित्व, व्यापक विचार-विमर्श तथा लोकतांत्रिक सिद्धान्तों पर आधारित थी। संविधान सभा ने दिसम्बर 1946 से नवम्बर 1949 के मध्य संविधान निर्माण का कार्य सम्पन्न किया। इस प्रक्रिया में समाज के विभिन्न वर्गों की आकांक्षाओं तथा शासन की आवश्यकताओं के बीच सन्तुलन स्थापित करने का प्रयास किया गया।

Under CSR Support by
ipca | Foundation

संविधान—क्यों और कैसे?

missiongyan® LET'S LEARN TOGETHER

1. संविधान सभा का गठन

- कैबिनेट मिशन योजना — भारतीय संविधान सभा की रचना मुख्यतः कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित योजना के अनुसार की गई।
- अविभाजित भारत — संविधान सभा का गठन प्रारम्भ में अविभाजित भारत के लिए किया गया था।
- प्रथम बैठक — संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसम्बर, 1946 को हुई।
- विभाजन के बाद बैठक — 14 अगस्त, 1947 को विभाजित भारत की संविधान सभा के रूप में इसकी पुनः बैठक हुई।

2. संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन

- अप्रत्यक्ष निर्वाचन — संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रान्तीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया।
- समानुपातिक प्रतिनिधित्व — प्रतिनिधियों के निर्वाचन में समानुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति अपनाई गई।
- एकल संक्रमण मत पद्धति — प्रान्तीय विधानसभाओं के सदस्यों ने इस मतदान पद्धति का प्रयोग किया।

Under CSR Support by
ipca | Foundation

संविधान—क्यों और कैसे?

missiongyan® LET'S LEARN TOGETHER

- जनसंख्या के आधार पर सीटें — मोटे तौर पर प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट निर्धारित की गई।
- समुदायों का प्रतिनिधित्व — प्रान्तीय सीटों को मुस्लिम, सिख और सामान्य समुदायों में जनसंख्या के अनुपात में बाँटा गया।

Under CSR Support by
ipca | Foundation

संविधान—क्यों और कैसे?

missiongyan® LET'S LEARN TOGETHER

3. संविधान सभा में प्रतिनिधित्व की व्यवस्था

- प्रान्तीय प्रतिनिधित्व — ब्रिटिश शासन के प्रत्यक्ष नियन्त्रण वाले प्रान्तों के लिए 292 सदस्य चुने जाने थे।
- देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व — देशी रियासतों को न्यूनतम 93 सीटें आवंटित की गईं।
- अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व — संविधान सभा में अनुसूचित जातियों के 28 सदस्य थे।
- विभाजन के बाद सदस्य संख्या — भारत के विभाजन के बाद संविधान सभा की वास्तविक सदस्य संख्या घटकर 299 रह गई।

- कांग्रेस का प्रतिनिधित्व — विभाजन के बाद संविधान सभा में कांग्रेस को लगभग 82 प्रतिशत सीटें प्राप्त थीं, लेकिन कांग्रेस में विभिन्न विचारधाराओं के लोग सम्मिलित थे।

4. संविधान सभा की कार्यप्रणाली

- विचार-विमर्श — संविधान सभा के सदस्यों ने संवैधानिक प्रश्नों पर गम्भीर और विस्तृत चर्चा की।
- सार्वजनिक हित — सदस्यों ने केवल अपने समुदायों के हितों के स्थान पर सम्पूर्ण देश के हितों को महत्त्व दिया।

- तर्कपूर्ण बहस — विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों पर सार्वजनिक विवेक और तर्कपूर्ण विचार-विमर्श को महत्त्व दिया गया।
- लोकतांत्रिक सिद्धान्त — संविधान सभा ने विभिन्न मतभेदों के बावजूद लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता बनाए रखी।

5. संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ

- आठ प्रमुख समितियाँ — संविधान सभा में विभिन्न मुद्दों पर विचार करने के लिए आठ प्रमुख समितियाँ बनाई गई थीं।

Under CSR Support by
ipca | Foundation

संविधान—क्यों और कैसे?

missiongyan® LET'S LEARN TOGETHER

- समितियों का नेतृत्व — जवाहरलाल नेहरू, राजेन्द्र प्रसाद, सरदार पटेल और डॉ. बी. आर. अम्बेडकर जैसे नेता समितियों की अध्यक्षता करते थे।
- प्रारूप तैयार करना — समितियाँ संविधान के अलग-अलग प्रावधानों का प्रारूप तैयार करती थीं।
- सम्पूर्ण सभा में चर्चा — समितियों द्वारा तैयार प्रारूपों पर संविधान सभा में चर्चा करके निर्णय लिए जाते थे।
- प्रारूप समिति के अध्यक्ष — डॉ. भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे।

6. राष्ट्रीय आन्दोलन की विरासत

- स्वतंत्रता आन्दोलन के सिद्धान्त — संविधान निर्माण में भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के दौरान विकसित सिद्धान्तों का महत्त्वपूर्ण योगदान था।
- साझा सहमति — स्वतंत्रता आन्दोलन के समय शासन व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक न्याय जैसे प्रश्नों पर व्यापक चर्चा हुई थी।
- संवैधानिक स्वरूप — राष्ट्रीय आन्दोलन से प्राप्त इन सिद्धान्तों को संविधान सभा ने संवैधानिक स्वरूप दिया।

संविधान—क्यों और कैसे?

- नैतिक प्रतिबद्धता — संविधान का उद्देश्य राष्ट्रीय आन्दोलन के दौरान जनता से किए गए आश्वासनों को पूरा करने वाली सरकार की स्थापना करना था।

7. उद्देश्य-प्रस्ताव की भूमिका

- प्रस्तुतकर्ता — पं. जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1946 में संविधान सभा में उद्देश्य-प्रस्ताव प्रस्तुत किया।
- संविधान के आदर्श — उद्देश्य-प्रस्ताव में संविधान की प्रमुख आकांक्षाओं और मूल्यों को समाहित किया गया।

Under CSR Support by
ipca | Foundation

संविधान—क्यों और कैसे?

missiongyan® LET'S LEARN TOGETHER

- प्रमुख सिद्धान्त — प्रस्ताव में स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र, संप्रभुता और साझा राष्ट्रीय पहचान के सिद्धान्तों को महत्त्व दिया गया।
- जनता की सत्ता — उद्देश्य-प्रस्ताव के अनुसार स्वतंत्र और संप्रभु भारत तथा उसके संविधान की समस्त शक्तियों का स्रोत जनता है।
- न्याय की स्थापना — प्रस्ताव में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई।

8. सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की स्वीकृति

- महत्त्वपूर्ण प्रावधान — संविधान सभा ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को लगभग बिना किसी विवाद के स्वीकार किया।
- मतदान का अधिकार — निश्चित आयु प्राप्त करने वाले नागरिकों को मतदान का अधिकार देने का सिद्धान्त स्वीकार किया गया।
- भेदभाव का निषेध — मतदान के अधिकार में धर्म, जाति, शिक्षा, लिंग और आय के आधार पर भेदभाव न करने की व्यवस्था स्वीकार की गई।
- लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता — यह निर्णय संविधान सभा के लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति विश्वास को दर्शाता है।

9. संस्थागत व्यवस्थाओं का निर्धारण

- विभिन्न संस्थाओं का सन्तुलन — संविधान सभा ने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच उचित सन्तुलन स्थापित करने पर विचार किया।
- संसदीय शासन व्यवस्था — संविधान सभा ने संसदीय शासन व्यवस्था को स्वीकार किया।
- संघात्मक व्यवस्था — केन्द्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण के लिए संघात्मक व्यवस्था अपनाई गई।
- लोककल्याण की प्रतिबद्धता — संविधान में सरकार को लोकतांत्रिक बनाए रखने और जनकल्याण के लिए कार्य करने के सिद्धान्तों को महत्त्व दिया गया।

10. अन्य देशों के संविधानों का प्रभाव

भारतीय संविधान निर्माताओं ने विभिन्न देशों के संवैधानिक अनुभवों का अध्ययन किया और भारत की आवश्यकताओं के अनुरूप उपयोगी प्रावधान अपनाए।

- ब्रिटेन — संसदीय शासन व्यवस्था तथा कानून के शासन का विचार।
- अमेरिका — मौलिक अधिकारों की सूची तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता।
- आयरलैंड — राज्य के नीति-निर्देशक तत्त्व।
- फ्रांस — स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धान्त।
- कनाडा — सशक्त केन्द्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था का स्वरूप।

Under CSR Support by
ipca | Foundation

संविधान—क्यों और कैसे?

missiongyan®
LET'S LEARN TOGETHER

संविधान निर्माताओं ने दूसरे देशों के प्रावधानों को केवल नकल के आधार पर नहीं अपनाया, बल्कि भारत की समस्याओं और आकांक्षाओं के अनुकूल बनाकर स्वीकार किया।

Under CSR Support by
ipca | Foundation

संविधान—क्यों और कैसे?

missiongyan® LET'S LEARN TOGETHER

11. संविधान सभा की बैठकें एवं संविधान का अन्तिम रूप

- संविधान निर्माण की अवधि — संविधान सभा ने लगभग दो वर्ष और ग्यारह महीने में संविधान निर्माण का कार्य सम्पन्न किया।
- बैठकों की संख्या — संविधान सभा की बैठकें कुल 166 दिनों तक चलीं।
- सार्वजनिक कार्यवाही — संविधान सभा के सत्र समाचारपत्रों और आम जनता के लिए खुले थे।

Under CSR Support by
ipca | Foundation

संविधान—क्यों और कैसे?

missiongyan® LET'S LEARN TOGETHER

- प्रावधानों पर विचार — संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों पर विस्तृत तथा तर्कपूर्ण चर्चा की गई।
- अन्तिम स्वीकृति — 26 नवम्बर, 1949 को संविधान सभा में कुल 284 सदस्य उपस्थित थे। अध्याय के अनुसार इन सदस्यों ने अन्तिम रूप से पारित संविधान पर हस्ताक्षर किए।